न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–वीरमाराम चौधरी, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–30 / 2021

वादी **बनाम** प्रतिवादीगण

दमाराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी धूरियावास तहसील सिणधरी

1. मांगाराम पुत्र अणदाराम
2. भैराराम पुत्र अणदाराम
3. पेमीदेवी पत्नि अणदाराम
4. देवाराम पुत्र मोतीराम
5. कंवराराम पुत्र मोतीराम
6. मगीदेवी पत्नि मोतीराम
7. घमण्डाराम पुत्र खेराजराम
8. मोहनलाल पुत्र खेराजराम
9. सताराम पुत्र खेराजरात
10. चुन्नीदेवी पत्नि खेराजराम
11. किरताराम पुत्र हीराराम
12. बांकाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी धूरियावास तहसील सिणधरी
13. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–28.12.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:51 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की पुश्तैनी हक ए[illegible]त की भूमि खसरा नम्बर 1442 रकबा 7–00 बीघा ग्राम धूरियावास तहसील सिणधरी में स्थित है, जिस पर वादी बन्दोबस्त पूर्व से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। बन्दोबस्त के दौरान वादी ने बन्दोबस्त कर्मियों के साथ रह कर उक्त भूमि की पैमाईश क[illegible] थी, किंतु बन्दोबस्त कर्मियों की भूल से उक्त भूमि का पर्चालगान वादी की बजाय प्रतिवादी सं. 1 से 12 के पूर्व पुरूषों के नाम से जारी हो गया और इस वजह से वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 12 की खातेदारी में दर्ज है। किंतु उक्त भूमि पर न तो प्रतिवादी सं. 1 से 12 के पूर्वपुरूषों का और न ही स्वयं प्रतिवादी सं. 1 से 12 का कभी भी कब्जा रहा है। इस प्रकार एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा का

सहायक कलेक्टर SDO सिणधरी

हकदार हो चुका है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी सं. 1 से 12 की प्रविष्टियां निरस्त करवाते हुए आवगी जोत अपनी खातेदारी में घोषित करवाने तथा प्रतिवादी सं. 1 से 12 के विरूद्व अपने कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दायर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 12 जिनके नाम वर्तमान रिकार्ड में बतौर खातेदार वादग्रस्त भूमि में प्रविष्टि दर्ज है, ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वाद के समस्त तथ्यों की ताइद करते हुए वादग्रस्त भूमि से अपनी खातेदारी निरस्त कर समग्र भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

वादी की ओर से अपने वाद कथन के समर्थन में स्वयं वादी दमाराम पी.डब्ल्यु–1, लालाराम पी.डब्ल्यु–2 व देदाराम पी.डब्ल्यु–3 के बतौर गवाह शपथपत्र प्रस्तुत हुए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी मय नक्शा EXP-1 प्रस्तुत किया गया।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि बन्दोबस्त से पूर्व से आज दिन तक लगातार वादी के कब्जा काश्त में रही है, उक्त भूमि पर कभी भी प्रतिवादी 1 से 12 के पूर्वपुरूषों का और न ही स्वयं प्रतिवादी सं. 1 से 12 का कभी भी कब्जा रहा है, किंतु बन्दोबस्त कर्मियों की भूल से उक्त भूमि का पर्चालगान वादी की बजाय प्रतिवादी सं. 1 से 12 के पूर्व पुरूषों के नाम से जारी हो गया और इस वजह से वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 12 की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार बावजूद निरन्तर कब्जा काश्त एवं हक के वादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी से महरूम हो गया। अतः वादी उक्त भूमि के रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 1 से 12 की प्रविष्टि निरस्त करवाते हुए अपनी आवगी खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी सं. 1 से 12 ने अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि वादी के हक की होना बताकर उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 12 के स्थान पर वादी की आवगी खातेदारी में दर्ज किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथपत्रों एवं इस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मौजा [illegible] के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 12 की खातेदारी में दर्ज है, किंतु मौखिक साक्ष्य व अभिलेख के अनुसार भूमि पर वादी का ही लगातार एवं पीढियों से कब्जा होना साबित है। प्रतिवादी सं. 1 से 12 ने भी अपने जवाब में उक्त भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा होना एवं कभी भी अपना अथवा अपने पूर्व पुरूषों का कब्जा नहीं होने के तथ्यों की पुष्टि की है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका है। ऐसी सूरत में वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धूरियावास तहसल सिणधरी की खसरा नम्बर 1442 रकबा 7–00 बीघाभूमि से प्रतिवादी सं. 1 से 12 की खातेदारी निरस्त करते हुए उक्त समग्र भूमि वादी की आवगी खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 28-12-2022 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:51 IST
Reason: SelfAttested